न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 43 सन 2017

अनवान :–

1. साहबराम पुत्र हरदयाल जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।

सायलान

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद 2. रामकुमार 3 सन्तलाल पि0 हरदयाल जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।
5 उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता सायलान
श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 8/5/2018

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मोजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 139/131 के प0न0 369/385(19) किला न0 2 ता 9 ,12 ता 19 ,22 ता 25 कुल 4.8330हैक , प0न0 370/385(20) किला न0 11 ,19 ता 22/1.2650हैक प0न0 369/386(38) किला न0 12 ,2 ,9 ,10 ,12 ता 24 /1.7710हैक प0न0 368/386(39) किला न0 4 ता 6/0.759 मु0न0 98/2 किला न0 0/3 की 0.1010हैक गै0मु0 रास्ता मु0न0 98/8 के किला न0 0/1 की 0.1260हैक गै0मु0 रास्ता कुल 8.8550हैक खाता सख्या 140/138 के प0न0 376/388(54) किला न0 22/0.253 ,23/1 की 0.150 ,प0न0 375/389(71) किला न0 4 ता 7 ,14 ता 17 ,24 ,25/2.4040हैक प0न0 376/389(72) किला न0 1 ता 3 ,9 ता 12 ,20 ,21 /1.7070हैक प0न0 375/390(73) किला न0 5/0.127 ,6/0.0130 मु0न0 98/43 की 0.1520हैक गै0मु0 रास्ता कुल 4.8050हैक खाता संख्या 141/139 के प0न0 376/388(54) किला न0 1 ता 5 ,9 ता 14 ,17 ता 21 /3.9090हैक प0न0 375/388(55) किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,24 ,25/1.3930हैक मु0न0 98/42 की 0.2410हैक गै0मु0 रास्ता कुल 5.5430हैक खाता संख्या 102/82 के प0न0 368/384(11) किला न0 21 ,22/0.506 , प0न0 367/384(12) किला न0 23 ता 25/0.759 , प0न0 367/385(17) किला न0 3 ता 7 /1.890हैक प0न0 368/385(18) किला न0 1 ता 19 ,22 ता 25/5.4380हैक प0न0 369/385(19) किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21/1.2390हैक प0न0 371/386(36) किला न0 11 ,20 ,21/0.759हैक प0न0 370/386(37) किला न0 6 ता 8 ,11 ता 20 ,23 ता 25/4.0460हैक प0न0 369/386(30) किला न0 15/0.227 ,16/0.228 , प0न0 370/387(46) किला न0 4 ,5/0.506 मु0न0 98/3 की 0.2280हैक गै0मु0 रास्ता मु0न0 98/10 के किला न0 0/1 की 0.050हैक गै0मु0 रीास्ता कुल 15.17050हैक भूमि में सायल व गैरसायला की सयुक्त खाते की भूमि है जिसमें प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 के अनुसार हक हिस्सा है।

उपखण्डाधिकारी नोहर

उक्त समस्त खातों की भूमि का शामिल खाते में होने के कारण सायल व गैरसायल का आपस में सीव लगान आदि का झगडा रहता है सायल अपने हक हिस्सा की भूमि में भूमि सूधार हेतु टयूबबेल नही लगा सकता है इसलिये सायल के हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग करवाना चाहते है।

गैरसायलान सयुक्त खाता की भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये गैरसायलान को पाबन्द किया जावे की सयुक्त खाता की भूमि का विभाजन होने से पूर्व रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की गैरसायलान विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा सायलान व गैरसायलान ने काश्त की सुविधा के अनुसार बाहमी बटवारा कर रखा है उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है गैरसायला का विवादित भूमि बेचान करने का कोई ईरादा नही है वाद भूमि सयुक्त खाता में दर्ज है जिसके बाहमी

बटवारा के अनुसार भूमि गैरसायलान काश्त करते आ रहे है सायल ने प्रार्थना पत्र केवल गैरसायलान को पेरशान करने की नियत से पेश किया गया है गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है बिना किसी आधार के रिकाडेड खातेदार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की भूमि का शामिल खाते में होने के कारण सायल व गैरसायल का आपस में सीव लगान आदि का झगडा रहता है सायल अपने हक हिस्सा की भूमि में भूमि सूधार हेतु टयूबबेल नही लगा सकता है इसलिये सायल के हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग करवाना चाहते है।

गैरसायलान सयुक्त खाता की भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये गैरसायलान को पाबन्द किया जावे की सयुक्त खाता की भूमि का विभाजन होने से पूर्व रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील गैरसायल न0 1 ता 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गैरसायलान विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा सायलान व गैरसायलान ने काश्त की सुविधा के अनुसार बाहमी बटवारा कर रखा है उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है गैरसायला का विवादित भूमि बेचान करने का कोई ईरादा नही है वाद भूमि सयुक्त खाता मे दर्ज है जिसके बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि गैरसायलान काश्त करते आ रहे है सायल ने प्रार्थना पत्र केवल गैरसायलान को पेरशान करने की नियत से पेश किया गया है गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है बिना किसी आधार के रिकाडेड खातेदार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायल व गैरसायलान न0 1 ता 3 सयुक्त खाते में खातेदार काश्तकार दर्ज है खाता विभाजन का अनुतोष तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होना है प्रार्थना पत्र में तो प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि सायल व गैरसायाल न0 1 ता 3 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है अर्थात सायल व गैरसायल न0 1 ता 3 रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण दोनो पक्षो के समान रूप से पाया जाता है। विवादित भूमि सयुक्त खाता में होने के कारण बिना खाता विभाजन करवाये बेचान करने से असूविधा सायल को होगी।

सयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक इच पर सहखातेदारों का हक हिस्सा होता है जब तक की सयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन नही हो जाता सयुक्त खातेदार अपने हक हिस्सा का ही बेचान कर सकता है सयुक्त खाता की भूमि के किसी विशेष भू भाग का वेचान करने का अधिकारी नही है। सायलान व गैरसायल दोनो सयुक्त खाते में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। दोनो पक्षकारां जो सुयक्त खातेदार काश्तकार है को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है कि वे सयुक्त खाता की भूमि में से किसी विशेष भू0भाग का बेचान नही करेगे।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आशिक स्वीकार किया जाता है। तथा उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वाद भूमि जो सयुक्त खाता में दर्ज के विशेष भू0भाग का बेचान वाद के निस्तारण तक नही किया जावे। सयुक्त काश्तकार अपने हक हिस्सा पर ऋण लेने हेतु स्वतन्त्र रहेगे बिना अनुमति के हरे पेडों को नही काटा जावेगा। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/5/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

SAzaiy

(उपखण्ड अधिकारी नोहर)

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)